न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 13/2018
प्रविष्टि दिनांक 23.08.2018

भेरूलाल पुत्र श्रीलाल जाति माली निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक

.............प्रार्थी

बनाम

1.श्रीमति रामकन्या पत्नि अमोलक चन्द जाति माली निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
2.लाडा पुत्री अमोलक चन्द जाति माली निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
3.शोभागी पुत्री अमोलक चन्द जाति माली निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
4.भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री कृष्णगोपाल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3

निर्णय दिनांक 20.12.2019

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.05.1975 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के पति व प्रतिपक्षी संख्या 2 ता.3 के पिता को आ0ख0नं0 337/1 मे रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 10.05.1975 को आ0ख0नं0 337/1 मे रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली में आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पति व पिता को विधिक प्रकिया अपनाकर आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात उक्त भूमि सुपुर्दगी मे दी गई है। प्रतिपक्षीगण के पिता व पति का कब्जा उनके जीवन काल तक रहा तथा मृत्यु के बाद मौके पर प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवेदक प्रतिपक्षी संख्या 1 का भानजा व प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 मामा बुआ का रिश्ता है। आवंटी ग्राम नासिरदा का ही निवासी था।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

विपक्षी संख्या 1 का फोटो पहचान पत्र,राशन कार्ड वगैरहा ग्राम नासिरदा के ही बने हुये है। विपक्षीगण की भूमि ग्राम भरनी मे भी है,इसलिए विपक्षीगण अपनी भूमि को काश्त करने के लिए ग्राम भरनी मे आते–जाते रहते है। विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजी का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण खुलवाने के लिए तहसीलदार देवली को दिनांक 07.09.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया था,जिसकी कार्यवाही चल रही थी उस दौरान आवेदक को पता चलने पर उक्त कार्यवाही को रूकवाने की नियत से आवेदक ने झूठे व बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर यह आवेदन बदनियतीय पूर्वक प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि आवंटन शुद्वा भूमि साबिक खसरा नम्बर 337/1 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली का आवंटन होने के पश्चात बन्दोस्त सम्वत 2046 से 2065 मे नये भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.27 है0 बना दिये तथा उसके बाद उपरोक्त भूमि को नवीन गांव गोपालपुरा मे शामिल करते हुए उक्त भूमि के सम्वत 2069 से 2072 मे खसरा नम्बर 512 के नये खसरा नम्बर 399 रकबा 1.27 है0 बना दिये गये है। आवंटन सलाहाकार समिति ने आवंटन करने से पूर्व मौका रिपोर्ट प्राप्त नही की गई कि उक्त भूमि मौके पर खाली है अथवा नही उक्त भूमि पर आवंटन से पहले से ही आवेदक का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा जो आवंटन किया गया है उससे पूर्व आवेदक को कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नही किया। आवंटन शुद्वा भूमि के दक्षिण ओर आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि स्थित है और आवंटन भूमि और खातेदारी की भूमि का मौके पर एक खेत बना है। भू–आवंटन सलाहाकार समिति ने आवंटन करने से पूर्व कोई उदघोषणा जारी नही की है और न ही आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा उपयोगी व अनु उपयोगी भूमि की सूची तैयार नही करवाई गई है। आवंटी का कभी भी इस भूमि पर अपने जीवन काल तक कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटी ने उक्त भूमि को आवंटन के पश्चात कभी काश्त नही किया है जवकि आवंटन नियमो के अनुसार प्रथम वर्ष मे 1/50 भूमि एंव द्वितीय वर्ष मे सम्पूर्ण भूमि काश्त करना आवश्यक है। आवंटी आवंटन के समय काश्तकार पेशा व्यक्ति नही था। आवंटी का मुख्य व्यवसाय मजदूरी करना था। आवेदन पर भी मजदूरी करना अंकित है। आवंटी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 3 की गैर खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी ने आवंटन गलत कराया है क्योकि आवंटी ग्राम नासिरदा का निवासी ना होकर ग्राम भरनी का निवासी है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2013 पेज 372 उद्वरित किये है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 ने बहस मे कथन किया कि भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 10.05.1975 को आ0ख0नं0 337/1 मे रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 की गैर खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। प्रतिपक्षीगण के पिता व पति का कब्जा उनके जीवन काल तक रहा तथा मृत्यु के बाद मौके पर प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 का कब्जा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। अप्रार्थीया रामकन्या का राशनकार्ड,भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र,आधार कार्ड तथा भाभाशाह कार्ड ग्राम नासिरदा के ही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 के पिता व पति अमोलक चन्द पुत्र रूघा जाति माली निवासी नासिरदा को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 10.05.1975 को आ0ख0नं0 337/1 मे रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम नासिरदा मे आवंटन किया गया है। अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 के पिता,पति अमोलक चन्द नासिरदा का निवासी नही थे बल्कि भरनी के थे। इस संबंध मे आवंटन नियमो मे स्थानीय ग्राम का निवासी होना अति आवश्यक शर्त नही है। अलबता समान श्रेणी के आवेदको मे स्थानीय आवेदक को प्राथमिकता दी जा सकती थी,परन्तु विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थी ने स्वंय को आवंटन का तत्समय आवेदक बताते हुए आवंटन मे अप्रार्थी की तुलना मे प्राथमिकता रखना नही बताया है। अतः प्रार्थी के इस कथन के आधार पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।

प्रार्थी का कथन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है,आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, आवंटी सद्भावी कृषक नही है परन्तु प्रार्थी की ओर से इन तथ्यो की तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है। अतः इन कथनो के आधार पर भी अप्रार्थीया का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थी का कथन है कि आवंटित भूमि एंव प्रार्थी की भूमि का एक ही खेत है। अर्थात प्रार्थी आवंटित भूमि पर अपना कब्जा बता रहा है परन्तु प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा मान भी लिया जावे तो वह अवैधानिक रूप से है जिसके आधार पर भी अप्रार्थीया का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी 2073–2076 मे उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 की गैर खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थीया रामकन्या का राशनकार्ड,भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र,आधार कार्ड तथा भाभाशाह कार्ड ग्राम नासिरदा के ही है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तो वह अवैधानिक कब्जा की परिभाषा मे आता है। इस कारण विधिवंत रूप से दर्ज गैर खातेदार का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। वर्तमान मे आवंटित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 की गैर खातेदारी मे दर्ज है।प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 के पिता व पति अमोलक चन्द के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 के पिता व पति अमोलक चन्द पुत्र रूघा जाति माली निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 10.05.1975 को ग्राम नासिरदा की आ0ख0नं0 337/1 मे रकबा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: